# न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

## पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार

आई०ए०एस०

निगरानी सं० 03/2013

मूलचंद पुत्र जमनालाल (फोत) जाति बैरवा निवासी नांगल राजावतान तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा

1/1 लक्ष्मी देवी उम्र 60 वर्ष पत्नि स्व० मूलचन्द

1/2 राजेन्द्र पुत्र स्व0 मूलचन्द

1/3 नवल पुत्र स्व ० मूलचन्द

1/4 रोहिताश पुत्र स्व ० मूलचन्द

1/5 मुकेश पुत्र स्व ० मूलचन्द

समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम नांगल राजावतान जिला दौसा

1/6 शकुन्तला पुत्री मूलचन्द पत्नि मोहनलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम प्रेमपुरा तहसील व जिला दौसा

.... निगरानीकारान

बनाम

1. नानगराम मीणा पुत्र श्री मन्नाराम मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम नांगल राजावतान तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा
2. ग्राम पंचायत नांगल राजावतान जरिए सचिव ग्राम पंचायत नांगल राजावतान पंचायत समिति लवाण जिला दौसा
3. सरपंच ग्राम पंचायत नांगल राजावतान पंचायत समिति लवाण जिला दौसा

...गैर निरानीकारान

निगरानी अन्तर्गत राजस्थान पंचायत अधिनियम विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत नांगल राजावतान संकल्प संख्या 6/2006 दिनांक 5–7–04 एवं उक्त संकल्प के तहत जारी किया गया पट्टा के तहत 62 मिसल संख्या 08 दिनांक 5–7–04

उपस्थितः 1. श्री अशोक बटवाल, अधिवक्ता निगरानीकारान

2. श्री अविनाश नागर, अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1 की ओर से

<u>निर्णय</u> दिनांक 30.10.2025

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. संक्षिप्त विवरण निगरानी अन्तर्गत राजस्थान पंचायत अधिनियम इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत, नांगल राजावतान द्वारा अप्रार्थी सं0 एक के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 5.7.2004 से असंतुष्ट होकर निगरानीकार ने यह निगरानी पेश की गई है।
2. निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत नांगल राजावतान से मूल पट्टा पत्रावली मंगवाई गई। उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि यह है कि ग्राम पंचायत नांगल राजावतान पंचायत समिति दौसा के तत्कालीन सरपंच श्रीमती सोनी देवी एवं सचिव द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपने विशेष चहेते व्यक्ति गैरनिगरानीकार सं0 2 को नाजायज लाभ पहुंचाने की गरज भूमि आबादी में नहीं होने के बावजूद भी उक्त पट्टा सं0 62 जारी कर दिया। ग्राम पंचायत नांगल राजावतान का संकल्प सं0 6 दिनांक 05.07.2004 व पट्टा सं0 62 विधि प्रक्रिया, प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धान्तों के विपरीत एवं पंचायती राज अधिनियम के विपरीत होने के कारण प्रथम दृष्ट्या निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत नांगल राजावतान द्वारा जिस स्थल

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.11.04 16:42:08 IST
Reason: SelfAttested

का पट्टा जारी किया था, उस समय उक्त स्थल आबादी भूमि में नहीं था । उक्त स्थल तत्समय आराजी खसरा नं0 725 रकबा 0.34 हैक्टेयर सिवायचक बारानी में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड की भूमि में था तथा राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि राजस्थान सरकार के नाम खातेदारी में दर्ज थी। निगरानीकार उक्त भूमि पर 50 वर्षों से काबिज चला आ रहा है। उक्त भूमि पर निगरानीकार ने अपने कच्चे घर एवं बाड़ा बना रखा है, तथा अपने परिवार सहित काबिज चला आ रहा है। तहसीलदार दौसा द्वारा कई बार धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत नोटिस भी जारी किये थे, जिस पर निगरानीकार प्रतिवर्ष पैनल्टी जमा करवाता चला आ रहा था, तथा मौके पर निगरानीकार अपने परिवार सहित उक्त स्थल पर निवास कर रहा है। फिर भी ग्राम पंचायत नांगल राजावतान के तत्कालीन सरपंच एवं सचिव के द्वारा आबादी भूमि नहीं होते हुए भी गैर निगरानीकार सं0 1 को विधि विरुद्ध रुप से पट्टा जारी कर दिया जो निरस्तनीय है। राजस्थान पंचायती राज नियम 140 के अनुसार आबादी भूमि का व्यापक अर्थ दे रखा है कि किसी पंचायत सर्किल के बसे हुये क्षेत्रों के भीतर पड़ने वाली ऐसी नजूल भूमि अभिप्रेत है जो राज्य सरकार के किसी आदेश के द्वारा या अधीन किसी पंचायत में निहित हो या निहित की गई हो । यानि राज्य सरकार किसी आदेश के अनुरुप या अधीन भूमि ग्राम पंचायत को देदे किन्तु सन् 2004 में उक्त भूमि ग्राम पंचायत की आबादी में दर्ज नहीं थी, बल्कि राजस्थान सरकार की सिवायचक भूमि थी । फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उक्त पट्टा जारी किया है, जो प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्तनीय है। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय दौसा के पत्रांक न.प.वी./09/1576 दिनांक 02.09.2009 व श्रीमान तहसीलदार साहब दौसा के आदेश क्रमांकः भू.अ./7322 दिनांक 14.10.2010 के आदेशानुसार उक्त भूमि आराजी खसरा नं0 725 रकबा 0.34 हैक्टेयर सिवायचक में से 0.19 हैक्टेयर भूमि गैरमुमकिन आबादी में दर्ज करने हेतु प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2010 में नामान्तरकरण सं0 470 दिनांक 01.12. 2010 को तस्दीक किया गया तथा भूमि आबादी में दर्ज की गई, तथा आबादी भूमि के नवीन खसरा नं0 725/2 रकबा 0.19 हैक्टेयर दर्ज किया गया। ऐसी स्थिति में आबादी दर्ज होने से पूर्व जारी किया गया पट्टा निरस्तनीय है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पट्टे जारी करने की प्रक्रिया बनी हुई है, किन्तु ग्राम पंचायत नांगल राजावतानं द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विधिक रुप से नहीं की है, जिस कारण पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत नांगल राजावतान ने गैरनिगरानीकार सं0 1 द्वारा पट्टा लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसके साथ कोई नक्शा भी प्रस्तुत नहीं किया था तथा न ही नक्शा फीस जमा करवाई थी। जबकि नियम 145 के अनुसार नक्शा तैयार करने के लिए फीस जमा कराने का प्रावधान है, तथा स्थल निरीक्षण के व्ययों के पेटे शुल्क जमा कराने का प्रावधान है। किन्तु बिना शुल्क जमा कराये गैरनिगरानीकार सं0 1 द्वारा न तो नक्शा ही प्रस्तुत किया न ही नक्शा फीस जमा करवाई । ऐसी स्थिति में पट्टा निरस्तनीय है। नियम 146 के अनुसार तीन वार्ड पंचों की समिति द्वारा मौका निरीक्षण किया जाता है तथा उक्त पंचों द्वारा 15 दिन के भीतर–भीतर स्थल का निरीक्षण किया जाना आवश्यक होता है तथा आवेदित पट्टे की वांछनीयता के संबन्ध में पंचायत को अपनी राय देना आवश्यक होता है, किन्तु ग्राम पंचायत नांगल राजावतान द्वारा नियमों के विपरीत जाकर बिना स्थल निरीक्षण करवाये [illegible] जारी कर दिया जो निरस्तनीय है। पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 148 के तहत [illegible] आमन्त्रित है, तथा प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर आक्षेप आमन्त्रित [illegible] 22 के तहत आपत्ति नोटिस जारी किया जाना आवश्यक होता है। किन्तु [illegible] पंचायत नांगल राजावतान द्वारा बिना आपत्ति नोटिस जारी किये गैरनिगरानीकार सं0 [illegible] को पट्टा जारी कर दिया जो निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत नांगल राजावतान द्वारा कोई स्वतन्त्र गवाहों के बयान लिये बिना ही तथा बिना किसी सूचना के यह जानते हुए कि उक्त स्थल आबादी भूमि में नहीं है, तथा जिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.11.04 16:42:08 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर,दौसा

जगह का पट्टा जारी किया जा रहा है उस पर पट्टा चाहने वाले आवेदक का कोई कब्जा नहीं है तथा बिना किसी कब्जे के निगरानीकार को नाजायज परेशान करने की गरज से तत्कालीन सरपंच एवं सचिव ने गैरनिगरानीकार सं0 1 से मिलकर षडयन्त्र रचकर पट्टा सं0 62 जारी किया है जो निरस्तनीय है। गैरनिगरानीकार सं० 1 को जारी पट्टे में नियम 157 (ख) का उल्लेख कर रखा है, जबकि नियम 157 (ख) के अनुसार यह नियम है कि 50 वर्षों के दौरान बने पुराने मकानों हेतु जो व्यक्ति पट्टा जारी करवाना चाहता हो या जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी झोपड़ी /कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है तो विनियमितिकरण के हकदार होगे । किन्तु उक्त स्थल पर गैरनिगरानीकार सं0 1 का कोई कब्जा भूमि पर नहीं था तथा न ही कोई कच्चे घर आदि बने हुये थे बल्कि 50 वर्षों से अधिक समय से निगरानीकार के कच्चे घर बने हुये है तथा अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों के विपरीत जाकर पट्टा जारी किया है जो निरस्तनीय है। नियम 167 ( 2 ) के अनुसार स्पष्ट प्रावधान है कि विक्रय विलेख (पट्टा ) पर सरपंच और सचिव द्वारा संयुक्त रुप से हस्ताक्षर किये जायेगे । किन्तु गैरनिगरानीकार सं0 1 को जारी पट्टे में केवल मात्र सरपंच के ही हस्ताक्षर है, सचिव के कोई हस्ताक्षर नहीं है। जिससे स्पष्ट जाहिर है कि ग्राम पंचायत नांगल राजावतान द्वारा जारी पट्टा गलत है, जो निरस्तनीय है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत नांगल राजावतान पंचायत समिति दौसा जिला दौसा द्वारा जारी संकल्प सं0 6 एवं उक्त संकल्प के तहत जारी पट्टा सं0 62 दिनांक 05.07.2004 निरस्त किये जाने की कृपा करे ।

4. अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1 ने बहस में कथन किया कि निगरानीकार ने ग्राम पंचायत नांगल राजावतान द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में जारी पट्‌टे को श्रीमानजी के न्यायालय में 9 वर्ष के विलंब से चुनौती दी गई है। विलंब को क्षमा करने हेतु दफा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया गया है। अधिवक्ता गैर निगरानीकार ने आगेक कथन किया कि माननीय राज0 उच्च न्यायालय ने 2019 (1)सीजे सीआईवी.राज. में यह मत व्यक्त किया है कि र्प्याप्त विलंब के पश्चात पेश की गई निगरानी का निर्णय करते समय विलंब के कारणों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। यदि अभिवचनों में 9 वर्ष के विलंब का कोई कारण दर्शित नहीं किया गया है तथ्ता प्रक्रियात्मक दोष या अनियमितता का कोई महत्वपूर्ण बिन्दु दर्शित नहीं किया गया तो निगरानी खारिज की जानी चाहिए। अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में हजारी पटटा पूर्ण विधिक कार्यवाही कर जारी किये गये है तथा कोई महत्वपूर्ण अनियमितता भी नहीं की गई है। पट्‌टा फीस, नक्शा फीस विधिवत जमा कराकर नोटिस जारी कर मौका देखकर विधिवत पत्रावली बनाकर पूर्ण शुल्क जमा करने के पश्चात जारी किये गये पट्‌टे में कोई महत्वपूर्ण अनियमितता नहीं की गई है। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा सभी देय आवश्यक भुगतान किये जाकर जारी पट्‌टाशुदा भूमि पर निर्माण कर भूमि का उपयोग कर रहा है। माननीय राज0 उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि पट्‌टा फ्रॉड करके प्राप्त नहीं किया गया है तो पट्‌टा निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। छोटी मोटी प्रक्रियात्मक त्रृटियों के आधार पर सदभावनापूर्वक जारी किया गया पटटा निरस्त नहीं किया जा सकता है। प्रश्नगत पट्‌टा जारी किये जाने में किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं किया गया है। अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं01 ने आगे कथन किया कि माननीय राज0 उच्च न्यायालय ने अपने [illegible]ंक 5.7.2017 स्‍े वि ।दंतंउ –वतेण अहे जंजम वि त्रेंजींद में यह म[illegible] 10 साल बाद पेश की गई निगरानी में निगरानीकर्ता द्वार[illegible]जनक कारण नहीं बताया तो देरी से पेश करने के आधार पर निगरानी खारिज किये [illegible]ाने योग्य है। विधिवत प्रंकिया अपनाकर जारी किया गया पट्‌टा तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। गैर निगरानीकार सं01 को जारी पट्‌टे की पुश्त पर सरपंच/सचिव प्रिंट है तथा सरपंच द्वारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.11.04 16:42:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

हस्ताक्षरित है। ग्राम पंचायत की समस्त पत्रावलियों का संधारण सचिव के द्वारा किया जाता है तथा पट्टों के संबंध में पत्रावलियों पर कार्यवाही भी सचिव द्वारा अंकित की जाती है तथा समस्त पट्टा फीस आदि भी सचिव द्वारा ही जमा की जाती है। कैश बुक का संधारण भी सचिव के द्वारा किया जाता है। निगरानीकर्ता को निगरानी पेश करने का अधिकार नहीं है क्योंकि वह स्वयं को अतिकमी बता रहा है। इस स्थान पर उसका कोई कब्जा है इसका कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। क्या अतिकमी किसी आदेश I पट्टे को चुनौती दे सकता है। उसे निगरानी पेश करने से पूर्व निगरानी पेश करने की अनुमति लेना आवश्यक है और इस हेतु 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर निगरानी पेश करने की अनुमति लेनी चाहिए परन्तु निगरानीकर्ता द्वारा अनुमति हेतु 96 सीपीसी का कोई प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया गया है। निगरानीकार ने गैर निगरानीकार सं0 1 को हैरान व परेशान करने की गरज से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1 ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2019(1)सीजे सीआईवी राज.272, 2012(2)डीएनजे राज0 602, 2022(3)डीएनजे राज0 949 की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

5. गैर निगरानीकार सं0 2 व 3 के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

6. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि निगरानीकार द्वारा ग्राम पंचायत नांगल राजावतान द्वारा जारी संकल्प सं0 6 एवं उक्त संकल्प के तहत जारी पट्टा सं0 62 दिनांक 05.07.2004 जो कि अप्रार्थी सं0 1 के नाम जारी किया गया है को निरस्त करने हेतु निगरानी इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.2.2013 को प्रस्तुत की गई है। निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी 9 वर्ष के विलंब से इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है लेकिन निगरानी के संलग्न दफा 5 कानून मियाद का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत किसी हित रखने वाले व्यक्ति को पुनर्विलोकन के लिए आवेदन उस आज्ञा के देने की तारीख से 90 दिवस के भीतर पेश करने की अवधि निर्धारित है, लेकिन निगरानीकार द्वारा 9 वर्ष के असाधारण विलंब से निगरानी प्रस्तुत की गई है। साथ ही देरी क्षमा हेतु दफा 5 कानून मियाद का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था जो कि निगरानीकार द्वारा निगरानी के साथ प्रस्तुंत नहीं किया गया है। हम निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य समझते है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है। अधीनस्थ गाम पंचायत नांगल राजावतान का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 30 अक्टूबर, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की अपील नियम समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.11.04 16:42:08 IST
Reason: SelfAttested